08/12/17 - 2ि12

तलवार और डंडों से मारकर हत्या करने वाले सात आरोपियों को उम्रकैद

रायसेन | एक साल पहले की गई हत्या के मामले सात आरोपियों को प्रथम सत्र न्यायाधीश तृप्ती शर्मा ने हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास सुनाया है। जानकारी के मुताबिक 5 अक्टूबर 2016 की रात में सुल्तानगंज के सेवनी खुर्द में रहने वाली भूरिया बाई के घर में घुस कर उसके पति रमेश पर सात लोगों ने मिलकर प्राणघातक हमला कर दिया था। इससे रमेश की मौत हो गई थी। घटना के बाद थाने में मामला दर्ज किया गया। न्यायालय में सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा और एक-एक हजार रुपए की जुर्माना भी लगाया है। भास्कर

कार्यालय– जिला लोक अभियोजन अधिकारी, रायसेन म0प्र0

क्रं. /456/अभि0/ 　　　　　　　　　　　　　　रायसेन,दिनॉकः– / /2017

प्रेस विज्ञप्ति

हत्या के आरोप में आरोपीगणों को आजीवन कारावस की सजा

माननीय न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती तृप्ति शर्मा द्वारा आरोपी सुरेश, रवि, भगवानसिंह, सुनील, प्रकाश, धन्नू, शिब्बू को हत्या के आरोप में धारा 302/149 भादवि. के तहत दोषी पाते हुये निम्नानुसार दण्ड से दण्डित किया है :–

क्रं.	आरोपी	धारा	दण्डादेश	जुर्माना
1	सुरेश, रवि, भगवानसिंह, सुनील, प्रकाश, धन्नू, शिब्बू	धारा 302/149 भा.द.वि.	आजीवन कारावास	1000–1000 रूपये अर्थदण्ड अर्थदण्ड अदा न करने पर 60–60 दिवस का साधारण कारावास।
2	सुरेश, रवि, भगवानसिंह, सुनील, प्रकाश, धन्नू, शिब्बू	धारा 148 भा.द.वि.	2–2 वर्ष का कारावास	–
3	सुरेश, रवि, भगवानसिंह, सुनील, प्रकाश, धन्नू, शिब्बू	धारा 447 भा.द.वि.	1–1 माह के सश्रम कारावास	–

इस मामले में शासन की ओर से आर0एस0 कुमरे (उप संचालक अभियोजन) रायसेन ने पैरवी की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आरोपीगणों द्वारा दिनांक 05/10/16 को रात्रि 8–8:15 बजे ग्राम सेवनी खुर्द थाना सुल्तानपुर क्षेत्रांतर्गत स्थित प्रार्थी भुरिया बाई के रिहायशी मकान में प्रार्थी के पति रमेश के साथ मारपीट कर रमेश को उपहति कारित करने की तैयारी से प्रवेश कर गृहअतिचार किया। अभियुक्त शमशेर को छोड़कर शेष अभियुक्तगण ने समान उद्देश्य के अग्रसरण में घातक आयुध तलवार और डंडों से सुसज्जित होकर बलवा कारित किया एवं अभियुक्त रवि एवं सुरेश द्वारा मृतक रमेंश के साथ तलवार और डंडों से मारपीट की और उसे प्राणघातक चोंटे पहुचाई जिसके परिणाम स्वरूप रमेश की मृत्यु हो गई। जहॉ अभियोजन द्वारा अपने मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया गया। माननीय न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती तृप्ति शर्मा द्वारा आरोपीगण **सुरेश, रवि, भगवानसिंह, सुनील, प्रकाश, धन्नू, शिब्बू** दोषी पाते हुए धारा 302/149 भा.द.वि. के तहत आजीवन कारावास एवं 1000–1000 रू. अर्थदण्ड, धारा 148 भादवि. में 2–2 वर्ष का कारावास एवं धारा 447 भादवि. में 1–1 माह का सश्रम कारावास का दण्डादेश दिया गया।

प्रति,
श्रीमान् प्रधान संपादक महोदय,
दैनिक भास्कर,
जिला– रायसेन

Sharda
श्रीमती शारदा शाक्य(मौर्य)
ए.डी.पी.ओ.
मीडिया प्रभारी